

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3276 / 11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 25, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू०पी० प्रा०लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2*660) मेगावाट ताप विद्युतगृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8B/UP/08/38/2016/FC/329, दिनांक 04.11.2022, भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-4154/मी०क्षे०/33, दिनांक 24.04.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.03.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम विषयगत प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-4154/मी०क्षे०/33, दिनांक 24.04.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3276 / 11-सी-FP/UP/Thermal/14236/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
3. अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा०लि०, मिर्जापुर।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 4154/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, अप्रैल, 24-2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

विषय-

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

1-भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ.सी./329 दिनांक 04.11.2022

2-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-1635/11-सी-FP/UP/THERMAL/14236/2015, दिनांक 10.11.2022

3- भारत सरकार द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 28.03.2024

4-कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-3122/11-सी-FP/UP/THERMAL/14236/2015, दिनांक 28.03.2024

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2024 को आहुत बैठक में भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण करते हुए उक्त वांछित सूचना एवं संबंधित अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक-3642/मीरजापुर/33 दिनांक 23.04.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौके का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्नकर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख 03 प्रतियों में एतदसह संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीये,

(गनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके पत्रांक-3642/मीरजापुर/33 दिनांक 23.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 3642 / मीरजापुर / 33 दिनांक मीरजापुर अप्रैल 23 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र.
मीरजापुर।

विषय- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*226) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ-1- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-3122 / 11-सी-FP/UP/THERMAL/14236/2015, लखनऊ दिनांक 28.03.2024।
- 2- आपका पृष्ठांकन पत्रांक-3844 / मीरजापुर / 33 दिनांक 29.03.2024।

महोदय,

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320(2*226) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-File No.8B/UP/08/38/2016/FC/339 दिनांक 04.11.2022 द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख तथा इसी सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 03.2024 को आहुत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा वांछित बिन्दुओं पर बिन्दुवार उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उससे सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संयुक्त निरीक्षण आख्या

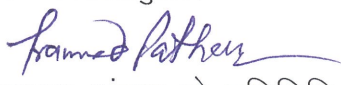
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/329 दिनांक 04.11.2022 एवं भारत सरकार द्वारा विडियो कान्फ्रेंसिंग बैठक दिनांक 28.03.2024 द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.11.2022 के क्रम में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये वांछित सूचना एवं सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-3122/11-सी-(FP/UP/THARMAL/14236/2015) दिनांक 28.03.2024 द्वारा भी उपरोक्तानुसार निर्देश प्राप्त हुये जिसके क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक-3367/मी0/15 दिनांक 30.03.2024 द्वारा 1-उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर, 2-उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार एवं 3- अधिकृत प्रतिनिधि-वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0को (उक्त प्रकरण) में भारत सरकार द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के निवारण हेतु मौके का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर के पत्रांक- 1465/दिनांक 02.04.2024 द्वारा राजस्व कर्मियों की टीम का गठन कर दिनांक 03.04.2024 को मौके पर आराजी संख्या- 180 व 216ज का चिन्हांकन किया गया। रिपोर्ट संलग्न है (संलग्नक-1)।

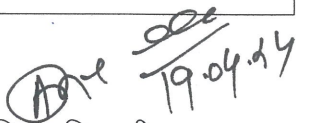
तत्क्रम में दिनांक 03.04.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग एवं प्रस्तावक संस्था द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो बिन्दुवार निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1-	Whether the two Gata Nos. 180 and 216ja of Dadari khurd village recorded as jhari in revenue record has been included in the list of Deemed forest as Forest like area?	ग्राम-ददरीखुर्द, तहसील-सदर, मीरजापुर का गाटा संख्या-180 एवं 216ज राजस्व अभिलेखों में झाड़ी के नाम से दर्ज है। (खतौनी की प्रति संलग्नक-2) है। जनपद-मीरजापुर में वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची में ग्राम-ददरी खुर्द तथा उक्त गाटा संख्या-180 एवं 216 ज सम्मिलित नहीं है। (जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची संलग्नक-3 है)।
2-	What is the criteria adopted by State of UP for declaring any area as Deemed Forest/ Forest like area?	कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-275/पी0ए0/आई0ए0(वनस्वरूप) लखनऊ दिनांक 20.12.2007 द्वारा वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करते हुये प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, अनुभाग-2, लखनऊ को प्रेषित पत्र में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की आयोजित बैठक दिनांक 19.12.2007 में समिति द्वारा वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित करने की संस्तुति की गयी है। (प्रति संलग्नक-4)। निर्धारित मानक के अनुसार वन स्वरूप क्षेत्र हेतु विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 हे0, जिसमें प्रति हे0 बहुवर्षीय प्रजाति के 100 पेड़ होना चाहिये। जबकि - 1-ग्राम-ददरी खुर्द, विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पड़ता है खसरा न0-180 का क्षेत्रफल मात्र 1.010 हे0 तथा खसरा न0 216ज/0.490 हे0 है जो वन स्वरूप क्षेत्र के लिये न्यूनतम निर्धारित क्षेत्रफल 3 हे0 के सापेक्ष बहुत कम है। 2-खसरा न0-180 तथा खसरा न0-216ज में प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्ष नहीं हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि खसरा न0-180 व 216ज वन स्वरूप क्षेत्र की सूची में नहीं है तथा वन स्वरूप क्षेत्र के लिये निर्धारित मानक के परिधि के अन्तर्गत भी नहीं है।
3-	The Geo-referenced map of the said area may be provided for DSS-Analysis of the same.	उक्त क्षेत्र का भू-सन्दर्भित मानचित्र पेन ड्राइव में संलग्नकर प्रेषित है (संलग्नक-5)।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


प्रस्तावक संस्था के प्रतिनिधि


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
चुनार


उप जिलाधिकारी, सदर,
मीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

महोदय,

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्रांक 1465/एस0टी0-उपजिला0 सदर/24 दिनांक 02.04.2024 के आदेश के क्रम में गठित राजस्व टीम एवं वन विभाग तथा प्रस्तावित ताप विधुत गृह के कार्मिकों की उपस्थिति में ग्राम ददरी खुर्द के आराजी नं0 180 रकबा 1.010 हे0 व आराजी नं0 216 ज रकबा 0.490 हे0 का सीमांकन किया गया। ग्राम की चकबन्दी नहीं हुई है। ग्राम का सर्वे (रिकार्ड आपरेशन) हुआ है। उपलब्ध ग्राम के शजदे में प्रश्नगत आराजी नं0 180 व उसके संगत स्थित अन्य गाटो की मेड़े बिन्दु रूप में अंकित किये गये हैं। अर्थात् पक्की मेड़े न होकर काल्पनिक मेंड़े बनायी गयी है। आराजी नं0 180 के सीमांकन हेतु आराजी सं0 162 जिसमें एक पक्का कूप स्थित है जो कि अभिलेखों में भी दर्ज है तथा आ0 सं0 121,120,126 व 127 के कटान बिन्दु चौमेड़ा स्थिर बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्हीं दोनो बिन्दुओं की सहायता से आ0 न0 180 के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकन ब किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है। आराजी नं0 216 के सीमांकन हेतु आ0 न0 162 स्थित कूप जो अभिलेखों में दर्ज है तथा सत्यापित किये गये आ0 नं0 180 स्थिर बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्हीं दोनो बिन्दुओं की सहायता से आ0न0 216 ज के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया। चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित ब किये गये पत्थर नसब की पुष्टि होती है।

अस्तु आख्या सादर सेंवा में प्रेषित।

Amir, 104
संलग्नक-1
9-4-2024

श.मि. (4)
4/4/24

श.मि. (4)
4/4/24

NT(P)
04/04/24

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

महोदय,

कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्रांक
L465 / एस.डी. - उप जिला. सदर / 24 दिनांक 2-4-24 के आदेश
के क्रम में गाठित राजस्व टीम एवं वन विभाग तथा प्रस्तावित
ताप विद्युत गृह के कार्मिकों की उपस्थिति में ^{गाम-दरी} आराजी नं. 180
रकबा 1.010 है. व आराजी नं. 216 व रकबा 0.490 है. का
सीमांकन किया गया। गाम की चकवन्दी नहीं हुई है। गाम का
सर्वे (रिकार्ड आपरेशन) हुआ है। उपलब्ध गाम के शलटे में
प्रश्नगत आराजी नं. 180 व उसके संगत स्थित अन्य गाये की
मेंड़े बिन्दु रूप में अंकित किये गये हैं। अर्थात् पक्की मेंड़े न
होकर काल्पनिक मेंड़े बनायी गयी है। आराजी नं. 180 के सीमांकन
हेतु आराजी नं. 162 जिसमें एक पक्का कूप स्थित है जो कि अफिलेक्ष
में भी दर्ज है तथा आ. नं. 121, 120, 126 व 127 के कटान बिन्दु
चौमैदा स्थित बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्ही दोनों बिन्दुओं की
सहायता से आ. नं. 180 के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया।
चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित व किये गये पत्थर नसब की पुष्टि
होती है। आराजी नं. 216 व के सीमांकन हेतु आ. नं. 162 स्थित
कूप जो अफिलेक्ष में दर्ज है तथा स्थापित किये गये आ. नं. 180
स्थित बिन्दु के रूप में खोजा गया। इन्ही दोनों बिन्दुओं की सहायता
से आ. नं. 216 व के शीर्ष बिन्दुओं का चिन्हांकन किया गया।
चिन्हांकन से पूर्व चिन्हांकित व किये गये पत्थर नसब की पुष्टि
होती है।

अल्लु आठ्या लादर सेवा में धेदि।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागिय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

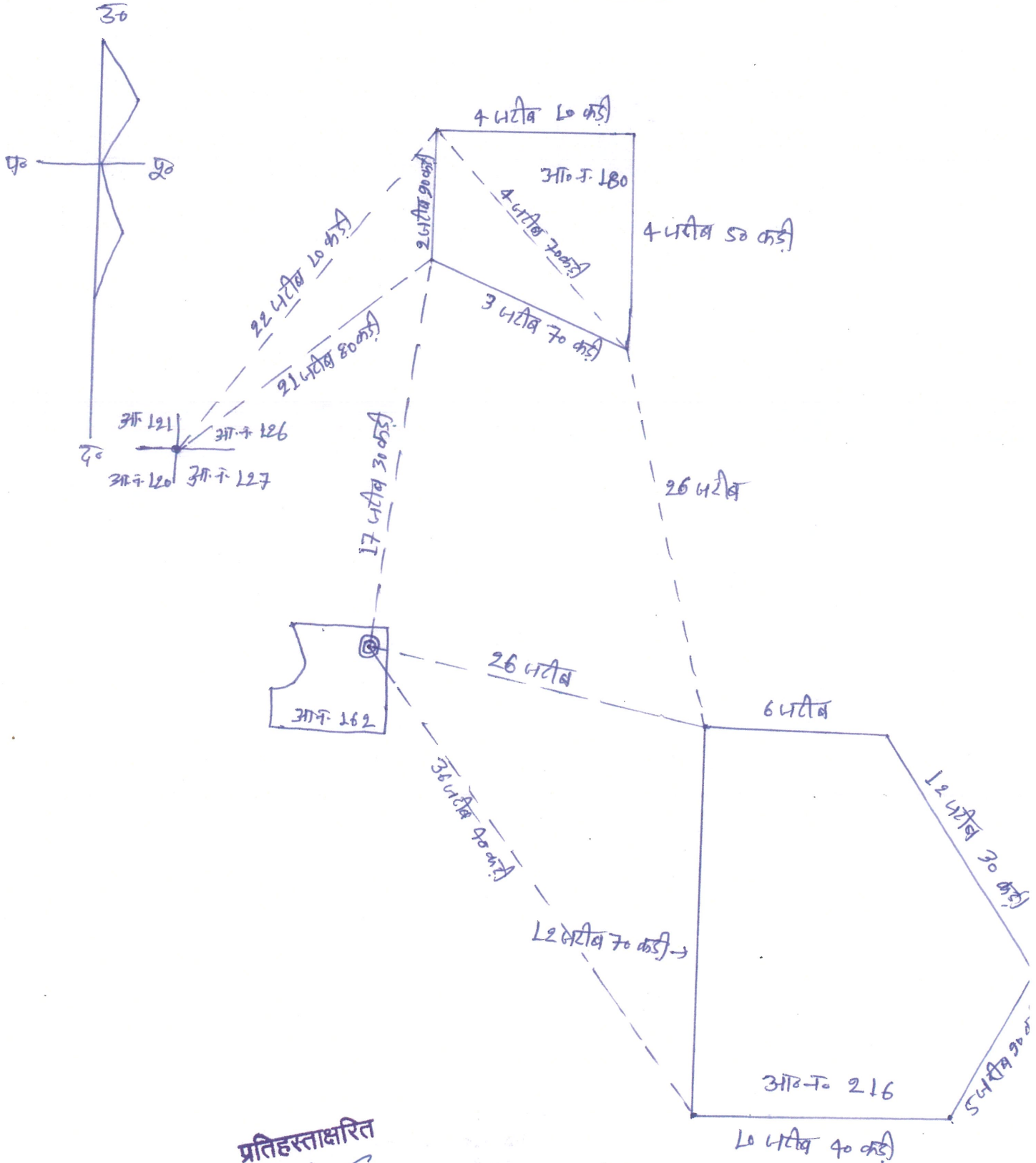
3/4/24

Amiraj
के.के. डुमरा
3-4-2024

नजदी - नक्शा

ग्राम- ददी बुई, तप्पा-84 परगना- कंरित नद. सदर जिला- श्रीगंगुद

आराज नं. 180 व 216 व



प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

Amistoa
J. J. O'Rand
3-4-2024

आदेश

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 140/जि0भू0व्य0लि0-2023/ थर्मलए0 यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक 01.04.2024 द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत् भूमिगत वाटर पाइपलाइन एवं सम्पर्क मार्ग हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरव्यवहारीक प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में राजस्व व वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौके का स्थलीय/अभिलेखीय जांच कर भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या मय संगत अभिलेख 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण का स्थलीय/अभिलेखीय जांच हेतु दिनांक 03.04.2024 की तिथि नियत करते हुए श्री राहुल कुमार मिश्रा नायब तहसीलदार पहाड़ी की अध्यक्षता में निम्नवत टीम गठित की जाती है-

1. श्री प्रेमशंकर ओझा राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पहाड़ी।
2. श्री श्रीकान्त सिंह राजस्व निरीक्षक क्षेत्र विन्ध्याचल।
3. श्री अजय कुमार मिश्रा लेखपाल।
4. श्री लालचन्द्र राम लेखपाल।

उपरोक्त टीम को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियत तिथि पर वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय/अभिलेखीय जांच कर आख्या दें।

(आशाराम वर्मा)

उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर।

पत्रांक 1465 /एस0टी0-उपजिला0सदर/24

दिनांक 02.04.2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नियत तिथि पर वन विभाग के सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थलीय/अभिलेखीय जांच हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार सदर।
3. नायब तहसीलदार पहाड़ी को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
4. सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक/लेखपाल को अनुपातनार्थ।

मिश्रा
लेखपाल

उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 21166120240358

ग्राम क्रमांक : 211661	ग्राम का नाम / परगना : बदरी खुर्द(कमिठ (पहाड़ी))	तहसील : सदर	जनपद : मिर्जापुर	फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)	भाग : 1		
खता खतौनी क्रम संख्या	खानेदार का नाम / पिता पति संश्लोक का नाम / निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खानेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आशा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-2 / कृषि योग्य भूमि - पुरानी पट्टी (पट्टीकर्तव)							
00056	झाड़ी / . / नि. ग्राम		180 216च	1.0100 0.4900		देखे पारा 161च0बि0अ0 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.09.15 खता सं.57 पर अंकित है ह.र.का.दि.29.09.15 देखे पारा.143च0बि0अ0में प्रख्यात आदेश खतासं. 57पर अंकित है ह.र.का.दि.05.2.16	
कुल गाटे- दो	कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव पाँच सय सय (हेक्टयर)	कुल भू-उपजस्व - सय दशमलव सय सय रूपये	2	1.5000	₹ 0.00	2	0
Data Digitally Signed by: Shyama Nand Dwivedi							
अपेक उद्धरण खतौनी का वेबसिगनेचर http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है							



सहस्र अधिकारी: BRAHMEDEV DUBEY

पदसहीत: सर जनपद: सिवपुर

दिनांक एवं समय: 12-03-2024 08:18:41

यह उद्धरण खतौनी प्रत्येकीय सिस्टम द्वारा हैपार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित है

श्री अश्विनी अभिलेख

कम्प्यूटर कक्ष / रजिस्ट्रार कार्यालय

तहसील सदर, सीरजापुर

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी

सीरजापुर-वन प्रभाग

सीरजापुर

व्यानाकषण श्री प्रबन कुमार (आई०एफ०एस०) सचिन वन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
पत्राक 30 / मीरजापुर / 33 वन स्वरूप / मीरजापुर दिनांक अगस्त 1, 2008
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

विषय— माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पीटिशन संख्या 2002 / 95
टी०एन० गोडा वर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के कम में आई०ए०
संख्या 979 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में
वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाना ।

सन्दर्भ— आपसे एवं सचिव वन से हुई दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में ।
महोदय,

उक्त विषयक के कम में उपरोक्त वाञ्छित सशोधित सूचना इस कार्यालय
के पत्राक 4460 / 33 / मीरजापुर दिनांक 24 जून द्वारा पूर्व में प्रमुख वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । जो कि सम्भवतः आपको प्राप्त नहीं हो
सकी थी । उक्त सशोधित रिपोर्ट पुनः आपको भेजी जा रही है ।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ए०के०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग मीरजापुर

संख्या / अ समादिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1— सचिव वन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ ।
- 2— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
- 3— जिलाधिकारी, मीरजापुर ।
- 4— प्रभागीय वनाधिकारी, कैमुर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

शासनादेश संख्या 120 / 14-2-2008 / 49 (एल) / 04 दिनांक 18-1-2008 के अनुपालन में चिह्नित की गयी वन स्वरूप क्षेत्र का विवरण

जनपद-मिर्जापुर

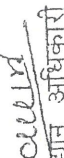
क्र. संख्या	जिला का नाम	तहसील / रेंज	गाव का नाम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या	भूमि कैटेगरी	क्षेत्रफल	कुल वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गै0	42 घ	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	8.8020	1200	-
2	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गै0	54 ग	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	6.3240	1887	-
3	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गै0	58 ग	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	55.000	7000	-
4	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गै0	59 घ	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	7.8260	848	खतौनी में क्षेत्रफल 12.6460 हे0 अंकित है किन्तु 4.82 हे0 वन विभाग के नाम अंकित हो चुका है। इसलिए कालम संख्या 8 में 7.8260 हे0 दर्शाया गया है तथा इसी क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या कालम संख्या 9 में दर्शाया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

5.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	सगरा	1-अजित नरायन वर्ग 0	28 / 6	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20500	-
				2-अशोक कुमार वर्ग 0	30 / 1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	33.4060	4500	-
				3-विरेन्द्र सिंह वर्ग 0	28 / 5	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	22.1680	20000	-
				4- लक्ष्मी देवी पत्नी मथुरा प्रसाद	33 / 3	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	6.4120	5000	-
				5- सतीश कुमार वर्ग 0	80 / 1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	25.7160	18000	-
				6- बैकुण्ठ नाथ वर्ग 0	40 / 1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	25.2930	10887	-


 जिला उद्यान अधिकारी
 सदस्य
 मिर्जापुर


 जिला उद्यान अधिकारी
 सदस्य
 मिर्जापुर


 प्रभागीय वनाधिकारी
 कर्मचारी जीव वन प्रभाग
 मिर्जापुर


 उप कृषि निदेशक
 सदस्य
 मिर्जापुर


 जिला उद्यान अधिकारी
 सदस्य
 मिर्जापुर

प्रतिहस्ताक्षरित


 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर-वन प्रभाग
 मीरजापुर

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- 275

/बी.ए./I.A.-लखनऊ: दिनांक:दिसम्बर 20, 2007
(वन संरक्षण)

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय :-

मा० सर्वोच्च न्यायालय में आई०ए० संख्या-979 के क्रम में प्रवेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

सन्दर्भ :-

उ०प्र० शासन का अर्थ शा० पत्रांक-3697/14-2-2007, दिनांक 19.12.07

महोदय,

उपरोक्त संदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 को आयोजित किया गया। समिति द्वारा "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारण करने की संस्तुति की गयी है:-

- वृक्षों की प्रति हेक्टर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगी:-

भौगोलिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे०)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे०)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रूटस्टाक सम्मिलित नहीं होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहाँ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमूला के रूप में दर्ज है वहाँ प्रत्येक मिंजूमूला प्लॉट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार माना जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हीत नहीं किये जायेंगे। समिति के संस्तुतियों का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के क्रम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(बी०के० पटनायक)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर

संख्या

(1) / 14-2-2007 तद्विनाशित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वन संरक्षक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से:

(पवन कुमार)

विशेष सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर